नन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की बैठक

दिनांक – 09.10.2020
समय – मध्याह्न 12:00 बजे से
स्थान – योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1. प्रो॰ राजाराम शुक्ल, कुलपति

2. प्रो॰ सुधाकर मिश्र
3. प्रो॰ जितेन्द्र कुमार
4. प्रो॰ रमेश प्रसाद
5. डॉ॰ विजय कुमार पाण्डेय
6. डॉ॰ शरद कुमार नागर
7. प्रो॰ योगेश चन्द्र दूबे
8. प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी
9. डॉ॰ विद्या कुमारी चन्द्रा
10. वित्त अधिकारी
11. कुलसचिव-सचिव

मंगलाचरण – प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी

सर्वप्रथम कुलपति महोदय के द्वारा सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या-1 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2020 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-2 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2020 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की सूचना।

कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की बैठक दिनांक 28.02.2020 में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में क्रियांवयन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि -

1. विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन व्याकरण पद पर नियुक्त डॉ॰ प्रमोद कुमार शर्मा की नियुक्ति जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में हो गयी है, इस कारण वे उक्त पद से त्यागपत्र दे दिये हैं तथा उनका तकनीकी त्यागपत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 29.07.2020 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है।

कार्यपरिषद् उक्त सूचना से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

2. कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 28.02.2020 में डॉ॰ विशाखा शुक्ला की असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र के पद पर सेवा सम्पुष्टि के सन्दर्भ में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि यतः याचिका संख्या-23439/2016 में पारित आदेश में तीन-तीन माह के लिये मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ायी जा रही है अतः इस सम्बन्ध में समस्त वैधानिक पक्ष पर विचार-विमर्श कर कार्यपरिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किया।

परिषद् के उपर्युक्त निर्देश के क्रम में कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि मा॰ उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं॰23439/2916 में दिनांक 09.04.2018 को मा॰ न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया है –

"The interim order granted earlier, if in operation, shall continue till the next date of listing" वर्तमान में मा॰ उच्च न्यायालय का उपर्युक्त आदेश ही अंतिम है।

उपर्युक्त पर विचार-विमर्श करते हुए कार्यपरिषद् ने डॉ॰ विशाखा शुक्ला की असिस्टेंट प्रोफेसर-शिक्षाशास्त्र के पद पर सेवा सम्पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-23439/2016 में पारित अंतिम आदेश के अधीन करने की स्वीकृति प्रदान की।

कार्यपरिषद् शेष अन्य क्रियांवयन रिपोर्ट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-3 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-11047/2020 प्रबन्ध समिति स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय बनाम स्टेट ऑफ यू॰पी॰ एवं अन्य 02 में दिनांक 21.09.2020 में पारित निर्णय के क्रियान्वयन पर विचार।

उपर्युक्त प्रकरण पर विचार के क्रम में कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि –

कमेटी आफ मैनेजमेन्ट स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय, वेलौनाकला, बरसठी, जौनपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं॰11047/2020 में पारित आदेश दिनांक 21-09-2020 में निर्देश प्रदान किया कि कुलपति कार्यपरिषद आहूत कर प्रकरण पर निर्णय ले। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का करणीय अंश निम्नवत् है।

Meanwhile, the Vice Chancellor of the University is directed to ensure that the decision must be taken by the Executive Council in the present matter on or before the next date fixed in the matter and the outcome of the same would be apprised by learned counsel for the University on the next date.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय, वेलौनाकला, बरसठी, जौनपुर को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04-03-2016 द्वारा शास्त्री व्याकरण, साहित्य की सम्बद्धता प्रदान की गयी है। प्रबन्धक द्वारा दिनांक 12-05-2016 को बी॰एल॰एड॰ कोर्स प्रारम्भ

करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की गयी जिसे कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20-05-2016 के अनुपालन में इस शर्त के साथ जारी किया गया कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालयद्वारा जिस भवन, भूमि एवं संशाधन के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की गई है, उसका उपयोग नवीन पाठ्यक्रम के लिए नहीं किया जायेगा एवं द्वितीय अनापत्ति जी॰1169/17 दिनांक 19-03-2017 को इस आशय से कि महाविद्यालय में उपलब्ध भूमि एवं भवन मानकानुसार शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु एवं अतिरिक्त भूमि एवं भवन प्रस्तावित बी॰एल॰एड॰ पाठ्यक्रम हेतु आंवटित का प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त स्थिति में एन॰सी॰टी॰ई॰ से बी॰एल॰एड॰ कोर्स महाविद्यालय परिसर में संचालित करने पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रबन्धक द्वारा अध्यापक अनुमोदन की माँग करने पर कुलपति महोदय द्वारा विशेषज्ञ नामित कर अध्यापक का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनापत्ति के सम्बन्ध में अध्यक्ष शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया कि क्या बी॰एल॰एड॰ पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर लिया गया है? तथा क्या परिनियमगत निकायों (अध्यक्ष बोर्ड/संकाय बोर्ड/विद्यापरिषद्) आदि से उसकी स्वीकृति प्राप्त है। उक्त पर कुलपति महोदय के आदेश पर अध्यक्ष शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा उठायी गई आपत्ति पर प्रबन्धक प्रश्नगत महाविद्यालय को प्रेषित कर जबाब माँगा गया। महाविद्यालय द्वारा बी॰एल॰एड॰ की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित कर प्रकरण पर विस्तृत आख्या प्राप्त कर निर्णय लेने का आदेश पारित किया गया। उक्त समिति ने अपनी संस्तुति दिनांक 04-07-2018 को कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जो निम्नवत् है।।

1. उक्त संस्कृत महाविद्यालय को मान्यता दिनांक 04-03-2016 को शास्त्री के पाठ्यक्रम संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी है।
2. दिनांक 19-03-2017 को विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति दी गयी है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संस्कृत महाविद्यालय के भूमि भवन से पृथक भूमि भवन को B.El.Ed. पाठ्यक्रम हेतु उपयोग मे लाया जा सकता है। इसी अनुक्रम में उक्त कालेज को एन॰सी॰टी॰ई॰ से पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है।
3. इस परिप्रेक्ष्य प्रथमतः यह बिन्दु विचारणीय है कि उक्त B.El.Ed. के पाठ्यक्रम को सम्बद्ध महाविद्यालय से परिचालित करने के लिए विश्वविद्यालय NCTE तथा शासन से अधिकृत है या नही? जिस पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय स्वयं संचालित नहीं करता है उसे सम्बद्ध महाविद्यालय में चलाने की अनुमति विश्वविद्यालय प्रदान कर सकता है कि नही ?
4. दूसरा विचारणीय बिन्दु यह है कि उक्त पाठ्यक्रम को नियमानुसार अध्ययन बोर्ड/संकाय बोर्ड तथा विद्यापरिषद् आदि निकायों से पारित होने के बाद ही सम्बद्धता प्रदान करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

समिति के उक्त निर्णय पर कुलपति महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि ''विद्या परिषद् के अगामी बैठक में प्रकरण को रखा जाय। प्रकरण विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22-09-2018 को विचारार्थ रखा गया। जिस पर विचार विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया।

''समिति की संस्तुति एवं प्रकरण से सम्बन्धी अन्य प्रकरणों के संदर्भ के विचार-विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया कि सम्बन्धित संस्था में (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति देने से पूर्व फिर से प्रकरण पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने हेतु एक समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय साथ ही परिषद् ने यह भी संस्तुत किया कि महाविद्यालय को (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जो अनापत्ति दी गयी है उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया जाय और इसकी सूचना संस्था के प्रबन्धन को भी दे दी जाय।''

विद्यापषिद् की उपर्युक्त संस्तुतियों पर विचार के क्रम में कार्यपरिषद् के कतिपय माननीय सदस्यों ने विद्यापरिषद् के कार्यक्रम (एजेण्डा)-7 में की गयी संस्तुति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जब विश्वविद्यालय में (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालित नहीं है तो उक्त पाठ्यक्रम को सम्बद्ध महाविद्यालयों में कैसे संचालित किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रकरण से सम्बन्धित पक्षों पर विचार करने हेतु समिति गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

अंत में विचार-विमर्श के पश्चात कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति में विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22-09-2018 में की गयी अन्य संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति करते हुए कार्यक्रम सं॰7 की संस्तुति को विचारार्थ पुनः विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उपर्युक्त प्रकरण को विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.09.2020 एवं सम्बन्धित प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श करते हुए विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से संस्तुति की कि –

1. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप बी॰एल॰एड॰ (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम बनाकर महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को चलाये जाने की संस्तुति करती है।
2. पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित करने की संस्तुति करती है।
3. शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश तैयार कर नियमानुसार संकाय बोर्ड की संस्तुति प्राप्त करते हुए विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

उपर्युक्त प्रकरण पर गंभीरतापूर्व विचार करते हुए कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से अधोलिखित पर स्वीकृति प्रदान की –

1. **विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप बी॰एल॰एड॰ (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम बनाकर सम्बद्ध महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की।**
2. **पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र विभाग एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की।**
3. **शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश तैयार कर नियमानुसार संकाय बोर्ड की संस्तुति प्राप्त करते हुए विद्यापरिषद् से संस्तुति प्राप्त कर कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय।**

4. स्वामी शिवेन्द्र पुरी संस्कृत महाविद्यालय जौनपुर बरसठी जौनपुर का बैचलर ऑफ एलीमेन्ट्री एजुकेशन (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रदत्त अनापत्ति में दी गयी शर्त कि – महाविद्यालय भूमि एवं भवन मानकानुसार शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु एवं अतिरिक्त भूमि एवं भवन प्रस्तावित बी०एल०एड० पाठ्यक्रम हेतु आवंटित होगा, कि जाँच एवं एन०सी०टी०ई० से मानक के अनुसार अन्य संसाधानों की भौतिक जाँच हेतु एक निरीक्षण मण्डल भेजा जाय और यदि वे एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय के शर्तो को पूर्ण करते है तो उन्हे मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाय।

साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि विद्यापरिषद् की संस्तुति के अनुसार पाठ्यक्रम आदि का अभी निर्माण होना है, ऐसी स्थिति में सत्र 2020-21 से पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु किसी भी संस्था को मान्यता प्रदान न की जाय।

कार्यक्रम संख्या-4 विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 की संस्तुतियों पर विचार।

परिषद् के समक्ष विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 की अधोलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

विद्या परिषद् की बैठक

दिनांक – 08.10.2020
समय – मध्याह्न 12:00 बजे से
स्थान – योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

2. प्रो० राजाराम शुक्ल, कुलपति

2. प्रो० महेन्द्र पाण्डेय
3. प्रो० शशिरानी मिश्रा
4. प्रो० सुधाकर मिश्र
5. प्रो० जितेन्द्र कुमार
6. प्रो० नीलम गुप्ता
7. डॉ० विजय कुमार पाण्डेय
8. डॉ० दिनेश कुमार गर्ग
9. प्रो० रामपूजन पाण्डेय
10. प्रो० ललित कुमार चौबे
11. प्रो० शम्भूनाथ शुक्ल
12. प्रो० रमेश कुमार द्विवेदी
13. प्रो० हर प्रसाद दीक्षित
14. प्रो० हरिशंकर पाण्डेय
15. प्रो० कृष्णचन्द्र दूबे
16. प्रो० शैलेश कुमार मिश्र
17. प्रो० हीरककान्ति चक्रवर्ती

18. प्रो॰ राम किशोर त्रिपाठी
19. प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी
20. प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह
21. प्रो॰ दुर्गानन्दन तिवारी
22. प्रो॰ देवी प्रसाद द्विवेदी
23. प्रो॰ विधु द्विवेदी
24. प्रो॰ कमलाकान्त त्रिपाठी
25. प्रो॰ राघवेन्द्र दूबे
26. प्रो॰ अमित कुमार शुक्ल
27. प्रो॰ ब्रजभूषण ओझा
28. डॉ॰ शरद कुमार नागर
29. कुलसचिव

मंगलाचरण – प्रो॰ हरि प्रसाद अधिकारी

सर्वप्रथम कुलपति महोदय के द्वारा सभी सदस्यों को कोविड-19 से बचाव करने के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा कराया गया। तत्पश्चात् सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए विद्यापरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या-1 विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2020 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-2 विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2020 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की सूचना।

विद्यापरिषद् क्रियान्वयन रिपोर्ट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-3 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-11047/2020 प्रबन्ध समिति स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय बनाम स्टेट ऑफ यू॰पी॰ एवं अन्य 02 में दिनांक 21.09.2020 में पारित निर्णय के क्रियान्वयन पर विचार।

उपर्युक्त प्रकरण पर विचार के क्रम में विद्या परिषद् को अवगत कराया गया कि –

कमेटी आफ मैनेजमेन्ट स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय, वेलौनाकला, बरसठी, जौनपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं॰11047/2020 में पारित आदेश दिनांक 21-09-2020 में निर्देश प्रदान किया कि कुलपति कार्यपरिषद आहूत कर प्रकरण पर निर्णय ले। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का करणीय अंश निम्नवत् है।

Meanwhile, the Vice Chancellor of the University is directed to ensure that the decision must be taken by the Executive Council in the present

matter on or before the next date fixed in the matter and the outcome of the same would be apprised by learned counsel for the University on the next date.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वामी शिवेन्द्रपुरी संस्कृत महाविद्यालय, वेलौनाकला, बरसठी, जौनपुर को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04-03-2016 द्वारा शास्त्री व्याकरण, साहित्य की सम्बद्धता प्रदान की गयी है। प्रबन्धक द्वारा दिनांक 12-05-2016 को बी॰एल॰एड॰ कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की गयाी जिसे कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20-05-2016 के अनुपालन में इस शर्त के साथ जारी किया गया कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालयद्वारा जिस भवन, भूमि एवं संशाधन के आधार पर शास्त्री पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की गई है, उसका उपयोग नवीन पाठ्यक्रम के लिए नहीं किया जायेगा एवं द्वितीय अनापत्ति जी॰1169/17 दिनांक 19-03-2017 को इस आशय से कि महाविद्यालय में उपलब्ध भूमि एवं भवन मानकानुसार शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु एवं अतिरिक्त भूमि एवं भवन प्रस्तावित बी॰एल॰एड॰ पाठ्यक्रम हेतु आंवटित का प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त स्थिति में एन॰सी॰टी॰ई॰ से बी॰एल॰एड॰ कोर्स महाविद्यालय परिसर में संचालित करने पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रबन्धक द्वारा अध्यापक अनुमोदन की माँग करने पर कुलपति महोदय द्वारा विशेषज्ञ नामित कर अध्यापक का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनापत्ति के सम्बन्ध में अध्यक्ष शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया कि क्या बी॰एल॰एड॰ पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर लिया गया है? तथा क्या परिनियमगत निकायों (अध्यक्ष बोर्ड/संकाय बोर्ड/विद्यापरिषद्) आदि से उसकी स्वीकृति प्राप्त है। उक्त पर कुलपति महोदय के आदेश पर अध्यक्ष शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा उठायी गई आपत्ति पर प्रबन्धक प्रश्नगत महाविद्यालय को प्रेषित कर जबाब माँगा गया। महाविद्यालय द्वारा बी॰एल॰एड॰ की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित कर प्रकरण पर विस्तृत आख्या प्राप्त कर निर्णय लेने का आदेश पारित किया गया। उक्त समिति ने अपनी संस्तुति दिनांक 04-07-2018 को कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जो निम्नवत् है।।

5. उक्त संस्कृत महाविद्यालय को मान्यता दिनांक 04-03-2016 को शास्त्री के पाठ्यक्रम संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी है।
6. दिनांक 19-03-2017 को विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति दी गयी है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संस्कृत महाविद्यालय के भूमि भवन से पृथक भूमि भवन को B.El.Ed. पाठ्यक्रम हेतु उपयोग मे लाया जा सकता है। इसी अनुक्रम में उक्त कालेज को एन॰सी॰टी॰ई॰ से पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है।
7. इस परिप्रेक्ष्य प्रथमतः यह बिन्दु विचारणीय है कि उक्त B.El.Ed. के पाठ्यक्रम को सम्बद्ध महाविद्यालय से परिचालित करने के लिए विश्वविद्यालय NCTE तथा शासन से अधिकृत है या नही? जिस पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय स्वयं संचालित नहीं करता है उसे सम्बद्ध महाविद्यालय में चलाने की अनुमति विश्वविद्यालय प्रदान कर सकता है कि नही ?

8. दूसरा विचारणीय बिन्दु यह है कि उक्त पाठ्यक्रम को नियमानुसार अध्ययन बोर्ड/संकाय बोर्ड तथा विद्यापरिषद् आदि निकायों से पारित होने के बाद ही सम्बद्धता प्रदान करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

समिति के उक्त निर्णय पर कुलपति महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि ''विद्या परिषद् के अगामी बैठक में प्रकरण को रखा जाय। प्रकरण विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22-09-2018 को विचारार्थ रखा गया। जिस पर विचार विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया।

''समिति की संस्तुति एवं प्रकरण से सम्बन्धी अन्य प्रकरणों के संदर्भ के विचार-विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया कि सम्बन्धित संस्था में (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति देने से पूर्व फिर से प्रकरण पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने हेतु एक समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय साथ ही परिषद् ने यह भी संस्तुत किया कि महाविद्यालय को (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जो अनापत्ति दी गयी है उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया जाय और इसकी सूचना संस्था के प्रबन्धन को भी दे दी जाय।''

विद्यापषिद् की उपर्युक्त संस्तुतियों पर विचार के क्रम में कार्यपरिषद् के कतिपय माननीय सदस्यों ने विद्यापरिषद् के कार्यक्रम (एजेण्डा)-7 में की गयी संस्तुति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जब विश्वविद्यालय में (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालित नहीं है तो उक्त पाठ्यक्रम को सम्बद्ध महाविद्यालयों में कैसे संचालित किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रकरण से सम्बन्धित पक्षों पर विचार करने हेतु समिति गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

अंत में विचार-विमर्श के पश्चात कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति में विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22-09-2018 में की गयी अन्य संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति करते हुए कार्यक्रम सं॰7 की संस्तुति को विचारार्थ पुनः विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रकरण विद्यापरिषद् में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.09.2020 एवं सम्बन्धित प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श करते हुए विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से संस्तुति की कि –

4. **विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप बी॰एल॰एड॰ (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम बनाकर महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को चलाये जाने की संस्तुति करती है।**
5. **पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित करने की संस्तुति करती है।**
6. **शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश तैयार कर नियमानुसार संकाय बोर्ड की संस्तुति प्राप्त करते हुए विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय।**

कार्यक्रम संख्या-04 भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन पर विचार।

विद्यापरिषद् ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि समस्त विभाग अधिकतम तीन माह में पाठ्यक्रम तैयार करते हुए संकाय बोर्ड की संस्तुति प्राप्त कर विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करे।

कार्यक्रम संख्या-05 दर्शन संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 08.03.2020 की संस्तुतियों पर विचार।

विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से दर्शन संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 08.03.2020 में की गयी संस्तुति –

''विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अन्तर्गत तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में सद्गुरू श्रीराम सिंह जी महाराज पीठ नामक एक विजिटिंग चेयर होगा, जिसके अन्तर्गत निदेशक के पद पर एक विद्वान को तीन वर्ष के लिए आमंत्रित किया जायेगा'' पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-06 श्रीराम प्रसाद शुक्ल की उपाधि की निरस्तीकरण पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.01.2018 में श्रीराम प्रसाद शुक्ल पुत्र श्री लल्लू प्रसाद शुक्ल के शास्त्री प्रथम वर्ष-2002 अनुक्रमांक 14322 शास्त्री द्वितीय बैक वर्ष-2003-04 अनुक्रमांक 107261/33724, शास्त्री तृतीय वर्ष-2004 अनुक्रमांक-57619 तथा आचार्य प्रथम वर्ष 2007 अनुक्रमांक 176249 एवं आचार्य द्वितीय वर्ष 2008 अनुक्रमांक-191824 की परीक्षा तथा प्राप्त की गयी उपाधि को निरस्त करने की संस्तुति की है।

विद्यापरिषद् ने परीक्षा समिति की उपर्युक्त संस्तुति पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

दर्शन संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 08.02.2020 की संस्तुति पर विचार।

विद्यापरिषद् ने दर्शन संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 08.02.2020 पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सर्वसम्मति से संस्तुति की कि -

सांख्ययोगतंत्रागम विभाग के अन्तर्गत एक वर्षीय योग प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाय।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08.10.2020 में कार्यक्रम संख्या-5 में लिये गये निर्णय को अधोलिखित संशोधन करते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

''विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अन्तर्गत संचालित सद्गुरू श्री राम सिंह जी महाराज पीठ अब से दर्शन संकाय के अन्तर्गत तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा संचालित होगी।''

शेष अन्य सभी प्रकरणों पर विद्यापरिषद् द्वारा की गयी संस्तुतियों को कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-5 वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 27.04.2020 एवं वास्तविक आय-व्यय 2019-20 एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.04.2020 की अधोलिखित संस्तुतियाँ तथा आय-व्यय 2019-2020 एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 प्रस्तुत की गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 27.04.2020
समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे
स्थान : कुलपति महोदय का आवासीय कार्यालय

उपस्थिति

(1)	प्रो0 राजाराम शुक्ल, कुलपति	–	अध्यक्ष
(2)	श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	–	सदस्य
(3)	श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन,वाराणसी प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	–	सदस्य
(4)	श्री मनोज कुमार पाण्डेय, परीक्षा नियन्ता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।	–	सदस्य
(5)	श्री राधेश्याम वित्त अधिकारी	–	सदस्य–सचिव

कार्यवृत्त

वित्त अधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या 1– आय व्यय अनुमान 2020–2021 पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव : आय व्यय अनुमान 2020–2021 निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा है –

समूह (क)	वेतन, बोनस, सरकारी अधिकारियों के पेंशन अवकाश वेतन , केन्द्रीय सेवा के अधिकारी को नगदीकरण पर व्यय, कर्मियो के सातवें वेतनमान का एरियर, चिकित्सा प्रतिपूर्ति	रू• 49,45,59,436=00
समूह (ख)	कार्यालय व्यय (विद्युत व्यय सहित)	रू• 4,71,79,500=00
समूह (ग)	शिक्षा संचालन, मुद्रण प्रकाशन	रू• 5,14,65,000=00
समूह (घ)	उपकरण, फर्नीचर, फोटोकापियर	रू• 8,00,000=00
समूह (ड•)	चिकित्सा एवं अन्य	रू• 6,71,000=00
समूह (च)	संकायो का प्रासंगिक , दीक्षान्त आदि	रू• 54,05,000=00
समूह (छ)	विगत वर्षो के अवशिष्ट तुलनपत्र निर्माण	रू• 11,50,000=00
समूह (ज)	वार्षिक अनुरक्षण आदि	रू• 36,37,000=00
	योग	**रू• 60,46,61,936=00**
	निजी स्रोत व्यय	**रू• 46,01,000=00**
	सकल योग	**रू• 60,92,62,936=00**
(i)	विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा शुल्क एवं अन्य से प्राप्ति	रू• 6,63,58,600=00
(ii)	शासन से वेतन के लिए प्राप्ति का अनुदान	रू• 28,94,96,000=00
(iii)	शासन से गैर वेतन के लिए प्राप्ति का अनुदान	रू• 1,51,35,000=00
(iv)	एन•पी•एस• संवर्ग के लिए प्राप्ति का अनुमान	रू• 2,46,64,056=00
	योग	**रू• 39,56,53,656=00**
	निजी स्रोत की प्राप्ति	**रू• 44,80,000=00**
	सकल योग	**रू• 40,01,33,656=00**

उपर्युक्त के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–2021 के व्यय रू• 60,92,62,936=00 के सापेक्ष रू• 40,01,33,656=00 की प्राप्ति के दृष्टिगत रू• 20,91,29,280=00 के घाटे का आय–व्यय प्रस्तुत है। इस पर विचार ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्राप्ति रू• 42,76,87,751=00 के सापेक्ष कुल व्यय रू• 40,12,49,139=00 हुआ। इस प्रकार रू• 2,64,38,612=00 (+) में रहें। वित्तीय वर्ष 2018–19 की प्राप्ति रू• 37,26,30,424=00 के सापेक्ष कुल व्यय रू• 34,75,23,589=00 हुआ। इस प्रकार रू• 2,51,06,835=00 (+) में रहें।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलपति महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(राधेश्याम)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 27.04.2020 तथा वास्तविक आय-व्यय 2019-20 एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-2021 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

पूरक कार्यक्रम-1 कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत डॉ॰ रविशंकर पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर (Stage-I) को असिस्टेंट प्रोफेसर का वरिष्ठ वेतनमान (Stage-II) अनुमन्य करने के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 31.08.2020 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक – 31.08.2020
समय - 12.30 बजे से
स्थान – कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या विभाग के असिस्टेण्ट प्रोफेसर (Stage-I) **डॉ0रविशंकर पाण्डेय** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर पद पर वरिष्ठ वेतनमान (Stage-II) अनुमन्य करने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिनांक 31.08.2020 को अपराह्न 12.30 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 राजाराम शुक्ल, - कुलपति - अध्यक्ष
2. डॉ0 पुरुषोत्तम प्रसाद पाठक - विशेषज्ञ
3. प्रो0 रमेश प्रसाद - संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
4. डॉ0 विद्या कुमारी चन्द्रा - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
5. श्री राजबहादुर, कुलसचिव - सचिव

समिति ने **डॉ0 रविशंकर पाण्डेय** के कार्यों का मूल्यांकन किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए साक्षात्कार के उपरान्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत डॉ0 रविशंकर पाण्डेय को असिस्टेण्ट प्रोफेसर का वरिष्ठ वेतनमान (Stage-II) अनुमन्य करने हेतु निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

डॉ॰ रविशंकर पाण्डेय को अर्हता तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर का वरिष्ठ वेतन मान लेवल II CAS के अन्तर्गत प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

31.8.20
(प्रो0 राजाराम शुक्ल)
कुलपति, अध्यक्ष

31/8/20
(प्रो0 पुरुषोत्तम प्रसाद पाठक)
विशेषज्ञ

31.8.2020
(प्रो0 रमेश प्रसाद)
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

विद्या कुमारी चन्द्रा
(डॉ0 विद्या कुमारी चन्द्रा)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

31/8/20
(राजबहादुर)
कुलसचिव, सचिव

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने डॉ॰ रविशंकर पाण्डेय को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत अर्हता तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर का वरिष्ठ वेतनमान (Stage-II) अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार

राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या-ई॰2758/जी॰एस॰ दिनांक 24 अगस्त, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई लर्निंग रिसोर्सेज, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर के रिकार्डिंग के लिए सुसज्जित स्टूडियो इत्यादि अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से "**उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी**" के गठन करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी